



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार—249404

Website: [www.psc.uk.gov.in](http://www.psc.uk.gov.in)

विज्ञापन संख्या :— A-3/DE(Principal)(मार्शिन)/S-1/2024

## प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०इ०का० / रा०बा०इ०का० सीमित विभागीय परीक्षा—2024

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	—	11 मार्च, 2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	—	14 मार्च, 2024
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	—	03 अप्रैल, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	03 अप्रैल, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

### अति महत्वपूर्ण निर्देश

- उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—4 के पत्रांक— 16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम—2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम—2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- प्रश्नगत पद पर आवेदन करने हेतु केवल उत्तराखण्ड सरकार के अधीन राजकीय विद्यालयों में मौलिक रूप से नियुक्त, विज्ञापन के बिन्दु संख्या 05 में वर्णित अनिवार्य अर्हकारी सेवा दिनांक 01 जुलाई, 2024 तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- प्रश्नगत परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के परिशिष्ट—07 के प्रारूप पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा तथा प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज (सामान्य शाखा / महिला शाखा) हेतु नियुक्ति प्राधिकारी अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे।
- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 03 अप्रैल, 2024 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता 'भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा 'बी०एड० या समकक्ष उपाधि' अवश्य धारित करते हो।  
ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका—2022(यथा संशोधित) के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक—पत्र के निर्गत होने की तिथि (Issue Date of Marksheets) से किया जायेगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंक—पत्र निर्गत होने की तिथि, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है अन्यथा अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

5.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी विस्तृत परीक्षा योजना हेतु <u>परिशिष्ट-01</u> का अवलोकन कर लें।
6.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
7.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
8.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/दिव्यांगजन श्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत केवल एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-11 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन/परिवर्तन किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवश्यक संशोधन अनिवार्य रूप से कर लें। उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
9.	अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा।
10.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु सिर्फ ऑनलाइन आवेदन-पत्र Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI Payment के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
11.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-01</u> , लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-02</u> , दिव्यांगजन आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-03</u> , न्यूनतम अर्हक अंक हेतु <u>परिशिष्ट-04</u> , 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित

	<p>दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु <u>परिशिष्ट-05</u> तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु <u>परिशिष्ट-06</u> संतोषजनक सेवा के प्रमाण पत्र के प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-07</u>, अनिवार्य अर्हकारी सेवा के प्रमाण पत्र के प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-08</u> परीक्षा केन्द्र/नगर के चयन हेतु <u>परिशिष्ट-09</u>, अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु <u>परिशिष्ट-10</u> एवं नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा के प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-11</u> का अवलोकन करें।</p>
12.	<p>i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण—पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>ii. प्रश्नगत पद पर चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु पाठ्यक्रम <u>परिशिष्ट-02</u> पर उपलब्ध है।</p> <p>iii. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन—पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता, अर्हकारी सेवा, दिव्यांग आरक्षण, संतोषजनक सेवा का प्रमाणपत्र आदि से संबंधित समस्त प्रमाण—पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका—2022 का अवश्य अवलोकन कर लें।</p> <p>iv. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन—पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण—पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनहृ घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>v. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा –शैक्षणिक, अर्हकारी सेवा, दिव्यांगजन आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली—2022 के भाग—नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।</p> <p>vi. अभ्यर्थियों को परीक्षा के विभिन्न चरणों की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से प्रदान की जाएगी साथ ही अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई—मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।</p>
13.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
14.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के <u>परिशिष्ट-04</u> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को न्यूनतम् अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता—सूची (MERIT) हेतु विचारित किया जायेगा।

15.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन समस्त जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। परन्तु अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने पर परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार, देहरादून एवं हल्द्वानी नगरों में कराया जाएगा।
16.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अहं अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा—शैक्षणिक, अर्हकारी सेवा, दिव्यांगजन आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, अर्हकारी सेवा, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थी विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट <a href="http://psc.uk.gov.in">psc.uk.gov.in</a> पर प्रसारित की जायेगी।
18.	अभ्यर्थी अपने दिव्यांग आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532 / 2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

**प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०इ०का० / रा०बा०इ०का० सीमित विभागीय परीक्षा—2024 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं।**

**1. रिक्तियों का विवरण :—** प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०इ०का० / रा०बा०इ०का० पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 692 है। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार / उपश्रेणीवार निम्नवत् है—

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्त पद	दिव्यांग श्रेणी हेतु रिक्त पद (04 प्रतिशत)	दिव्यांग श्रेणी में रिक्त पद					अनारक्षित श्रेणी हेतु अवधारित पद
				क— दृष्टिहीनता और निम्न दृष्टिहीनता (LV/PB)	ख— बधिर और श्रवण शक्ति में दृष्टि (HH/ PD)	ग— चलन दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्ठ धात, रोगमुक्त कुछ बौनापन, तेजाब आकमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण।	घ— स्वपरायणता (Autism) बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	खण्ड—(क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर—अंधता सम्मिलित है।	
1.	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कॉलेज (सामान्य शाखा)	624	24	06	06	06	इस श्रेणी हेतु दिव्यांगता चिह्नांकित नहीं है।	06	600
2.	प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज (महिला शाखा)	68	02	01	01	--	इस श्रेणी हेतु दिव्यांगता चिह्नांकित नहीं है।	--	66

**टिप्पणी—** प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु संगत सेवानियमावली उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 के नियम—21 के अनुसार विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है।

**नोट:—**उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या— 48 / XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक—05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, OL, LC, Dw, AAV/AV, LV/PB, HH/ PD, BL,OAL, CP, MDY, TH, HP, BH हेतु चिह्नांकित हैं। तदक्रम में उक्त श्रेणियों के अतिरिक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2-	वेतनमान	—	वेतन लेवल-12 (78800–209200)
3-	पद का स्वरूप	—	समूह 'क' राजपत्रित / स्थाई।
4-	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता		<p>सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र कार्मिकों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा बी0एड0 या समकक्ष उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।</p>
5-	अनिवार्य अर्हकारी सेवा		<p><b>प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कॉलेज, (सामान्य शाखा)–</b></p> <p>(1) उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में में कम से कम 02 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(2) उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज (सामान्य शाखा) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(3) उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक, एल0 टी0 जो प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत हुये हों, परन्तु प्रवक्ता राजकीय इण्टर कॉलेज (सामान्य शाखा) के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर मौलिक सेवा पूर्ण कर चुके हों सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी—</b> विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाणपत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।</p> <p><b>प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज (महिला शाखा)–</b></p> <p>(1) उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 02 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(2) उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज (महिला शाखा) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(3) उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जो सहायक अध्यापक, एल0 टी0 से प्रवक्ता</p>

		<p>के पद पर पदोन्नत हुए हों, परन्तु प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज (महिला शाखा) के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण चुकें हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी—</b> विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाणपत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।</p>
--	--	--

**टिप्पणी—1.** अभ्यर्थीगण अपनी अनिवार्य अर्हकारी सेवा के आधार पर प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कॉलेज, (सामान्य शाखा) अथवा प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, (महिला शाखा) पद के सापेक्ष ही आवेदन करें।

**2.** उक्त अनिवार्य अर्हकारी सेवा के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा परिशिष्ट—08 पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

**6.** आयु :— सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2024 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2024 को अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1974 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**7. चरित्रः—** सेवा में किसी पद पर विभागीय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

**8. वैवाहिक प्रास्थिति:—** ऐसे पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

**9. आरक्षण :—** उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 के भाग—8 अन्य प्रावधान के नियम—21 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, रा०इ०का०/रा०बा०इ०का० के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है। किन्तु कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 232, दिनांक 26.09.2018 के अनुसार कुल रिक्त पदों के 04 प्रतिशत दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित हैं।

**(i)** दिव्यांगजन आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के “परिशिष्ट—03” में मुद्रित/शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

**(ii).** दिव्यांगजन आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांगता की जिस श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

**(iii) शासनादेश संख्या:** 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट–06 के साथ संलग्न है।

## **10. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) -**

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](http://psc.uk.gov.in) या [ukpsc.net.in](http://ukpsc.net.in) पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात [ukpsc.net.in](http://ukpsc.net.in) पर जाकर Menubar में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
- 3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉल्टिं**, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फॉर्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुनः **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात “**I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself**” declaration पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण

को **Back & Edit** के बटन पर विलक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर विलक करें। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर विलक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर विलक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।

7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन—पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (Application Cancel) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर विलक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर विलक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर विलक करें। **Submit** पर विलक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपीओ (OTP) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर विलक करें। आवेदन रद्द (Application Cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (Cancel Application) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**नोट:** (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन—पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर विलक कर फार्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी [ukpschelpline@gmail.com](mailto:ukpschelpline@gmail.com) पर ई—मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन—पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् मोबाइल नम्बर **Edit** नहीं किया जा सकता है।

## 11. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया—

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा—निर्देशः—

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई—मेल आईडीओ एवं पासवर्ड से लॉग—इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग—इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (**मोबाइल नम्बर** एवं **ई—मेल आईडीओ** को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।
- (vi) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी०एफ०एफ०/उ०म० इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

**12. आवेदन शुल्क :—** प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :—

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees ₹०)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax ₹०)	कुल शुल्क (Total Fees₹०)
01.	अनारक्षित	150	22.30	172.30
02.	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	22.30	22.30

**नोट—** दिव्यांगता उपश्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित ₹० 22.30 देय होगा।

**13. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश—**

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/ नियमावलियों/ मैनुअल्स/ मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 (यथा संशोधित) आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](http://psc.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

(03) विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type with Multiple Choice) की लिखित परीक्षा विज्ञापन के परिशिष्ट-01 में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जायेगी। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु औपन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण—पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार से पूर्व सत्यापन किया जायेगा। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny)/अभिलेख सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा

आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अहंता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनहं अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनहं अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त सूचना डाक द्वारा पृथक से प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(05) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](http://psc.uk.gov.in) पर प्रसारित की जायेगी।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल [ukpschelpline@gmail.com](mailto:ukpschelpline@gmail.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अहं अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा— शैक्षणिक, दिव्यांगजन आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग—नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अहंता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(08) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न—पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्डस्वरूप (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(09) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं

किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(11) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग आदि) अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(12) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित—** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम—2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(13) परीक्षा केन्द्र में आचरण— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(14) अँगूठे का निशान (**Thumb Impression**)— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(15) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(16) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(17) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम (औपबंधिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रांरभिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(18) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(21) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों

का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

**(22)** आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

**(23)** यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

**(24)** आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के

पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(25) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](http://psc.uk.gov.in) का समय—समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(26) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित जनपदों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपदों में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

(27) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(30) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

Sd/-  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।

## परिशिष्ट-01

# प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कालेज / राजकीय बालिका इण्टर कालेज पद पर सीमित विभागीय परीक्षा के लिए परीक्षा योजना

क्र.सं.	प्रश्न—पत्र	विषय	परीक्षा का स्वरूप	प्रश्न संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1	प्रश्नपत्र—I	सामान्य अध्ययन तथा भाषा—कुशलता	वस्तुनिष्ठ प्रकार	120	120	02 घण्टे
2	प्रश्नपत्र-II	शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता	वस्तुनिष्ठ प्रकार	180	360	03 घण्टे
कुल अंक (लिखित परीक्षा)						480
3	साक्षात्कार					
कुल अंक (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार)						540

- नोट:-** 1. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए नकारात्मक अंकन के रूप में प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक छौथाई ( $1/4$ ) अंक काट दिया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही क्यों न हो और उस प्रश्न के लिए उपरोक्त के समान ही नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
2. अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा।

**EXAM PLAN FOR DEPARTMENTAL EXAM OF THE  
POST OF PRINCIPAL, GOVT. INTER COLLEGE/ GOVT.  
GIRLS INTER COLLEGE**

S.No	Question paper	Subject	Nature of exam	No. of Question	Maximum Marks	Time
1	Paper-I	General Studies and Language Proficiency	Objective type	120	120	2 Hours
2	Paper-II	Educational Leadership and Administrative Efficiency	Objective type	180	360	3 Hours
Total Marks (Written Examination)						480
3	Interview					
<b>Total Marks (Written and Interview)</b>						<b>540</b>

- Note:**
1. There will be negative marking for wrong answers marked by a candidate in the objective type Question Paper. One fourth (1/4) of the marks assigned to the question will be deducted as negative marking for each question for which a wrong answer has been given by the candidate. If a candidate gives more than one answer for a question, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and the same way negative marking as above will be done for that question.
  2. Final Selection will be based on the performance of the candidate in written test and interview taken together.

## परिशिष्ट-02

# प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कालेज / राजकीय बालिका इण्टर कालेज पद पर विभागीय परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का पाठ्यक्रम

## प्रश्नपत्र-I

विषय : सामान्य अध्ययन तथा भाषा-कुशलता

कुल प्रश्न: 120

अधिकतम अंक: 120

समयावधि-02 घण्टे

### भाग-I

#### भाषा

क-सामान्य अंग्रेजी (20 प्रश्न / 20 अंक)

Comprehension, word power, grammar and usage with emphasis on communicative and administrative usage, Use of correct Prepositions, One-word substitution, Synonyms, Antonyms, Tenses, Idioms and Phrases, Active/Passive voice, Direct & indirect speech.

ख-सामान्य हिन्दी (20 प्रश्न / 20 अंक)

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम-व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

### भाग-II

#### सामान्य ज्ञान

(40 प्रश्न / 40 अंक)

सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले-राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिनमें आर्थिक मुद्दे, राजनीति मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कोई अन्य समसामयिक मुद्दे। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में भी उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी रखते हों।

### भाग-III

#### तर्क क्षमता

(20 प्रश्न / 20 अंक)

समानताएं (सादृश्य), असमानता (भिन्नता), अंतरिक्ष दृश्य, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण एवं अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक फलन आदि।

**भाग-IV**  
**कंप्यूटर दक्षता**  
**(20 प्रश्न / 20 अंक)**

संख्या प्रणाली, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल; कंप्यूटर परिभाषा और उसके घटक, कंप्यूटर के प्रकार और पीड़ियां, सीपीयू (CPU), एएलयू(ALU), मेमोरी, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, रैम (RAM), रोम (ROM), इनपुट और आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, आईपी एड्रेस, इंटरनेट, लैन (LAN), वैन (WAN), ई-मेल, विश्वव्यापी वेब, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर प्लाइंट, कंप्यूटर वायरस, मल्टीमीडिया।

**प्रश्नपत्र-II**  
**विषय : शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता**

कुल प्रश्न: 180

अधिकतम अंक: 360

समयावधि—03 घण्टे

**1. शैक्षिक परिप्रेक्ष्य – (20 प्रश्न / 40 अंक)**

- स्वतन्त्रता के पश्चात शैक्षिक आयोग: माध्यमिक शिक्षा आयोग(1952), शिक्षा आयोग (1964–66)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विद्यालयी शिक्षा
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम –2009
- उत्तराखण्ड प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा के प्राविधान

**2. शैक्षिक नेतृत्व – (20 प्रश्न / 40 अंक)**

- एक अच्छे नेतृत्व का अर्थ एवं विशेषताएं
- नेतृत्व के सिद्धान्त

- नेतृत्व के प्रकार
- नेतृत्व के गुणों का विकास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता
- शैक्षिक नेतृत्व का मापन

**3. शैक्षिक संस्था का प्रशासन—** (30 प्रश्न / 60 अंक)

- संस्थागत योजना — अर्थ एवं प्रकार
- पाठ्यचर्या— अर्थ, प्रकार एवं महत्व
- पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त
- शैक्षिक संस्था हेतु समय सारणी का महत्व
- विद्यालय अनुशासन का महत्व एवं विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक
- अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार—संरचनात्मक एवं योगात्मक

**4. शैक्षिक संस्थान में समावेशन—** (20 प्रश्न / 40 अंक)

- समावेशी शिक्षा : अर्थ, उद्देश्य एवं आवश्यकता
- समावेशी विद्यालयी वातावरण—भौतिक संसाधन, शिक्षक एवं प्रशिक्षण
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के प्राविधान
- विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का महत्व, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य, निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्राविधान, विद्यालय में परामर्श एवं निर्देशन
- अशक्त व्यक्तियों हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं अधिनियम –1995 एवं 2016

**5. विद्यालय प्रशासन—** (30 प्रश्न / 60 अंक)

- विद्यालय प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्य एवं सिद्धान्त
- कार्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन—उद्देश्य, कार्य एवं आवश्यकता
- संगठनात्मक वातावरण : संगठन का अर्थ, विद्यालय एक संगठन के रूप में, संगठनात्मक वातावरण की विमायें
- विद्यालय में प्रबन्धात्मक द्वंद्व : द्वंद्व की प्रकृति, द्वंद्व के प्रकार, द्वंद्व प्रबन्धन में प्रधानाचार्य की भूमिका

- प्रधानाचार्य के गुण : भौतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं नैतिक गुण, एक प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य के दायित्व – योजनात्मक, संगठनात्मक, नियन्त्रणात्मक एवं मूल्यांकनात्मक

**6. शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबन्धन – (20 प्रश्न / 40 अंक)**

- मानव संसाधन प्रबन्धन : अर्थ एवं सिद्धान्त
- विद्यालयों में सम्प्रेषण प्रबन्धन : आन्तरिक एवं बाह्य सम्प्रेषण
- प्रभावी सम्प्रेषण में बाधायें
- भौतिक एवं संरचनात्मक संसाधनों का प्रबन्धन
- विद्यालय में संसाधन प्रबन्धन में प्रधानाचार्य की भूमिका

**7. शैक्षिक संस्थानों में वित्त प्रबन्धन – (20 प्रश्न / 40 अंक)**

- शैक्षिक वित्त का अर्थ एवं प्रकृति, शैक्षिक वित्त को प्रभावित करने वाले कारक
- शैक्षिक बजट : आवश्यकता, तैयारी एवं नियन्त्रण, बजट का प्रस्तुतिकरण एवं स्वीकृतिकरण
- शैक्षिक वित्त के श्रोत – सार्वजनिक निधि, निजी निधि एवं स्थानीय निकाय निधि
- सहायता –अनुदान प्रणाली : राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अनुदान वितरण प्रणाली, लागत एवं प्रभाव प्रणाली
- वित्त प्रबन्धन में प्रधानाचार्य की भूमिका

**8. पर्यवेक्षण – (20 प्रश्न / 40 अंक)**

- विद्यालयी पर्यवेक्षण का अर्थ एवं प्रकृति
- पर्यवेक्षण योजना के कार्य
- प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व हेतु पर्यवेक्षण की आवश्यकता
- विद्यालयी पर्यवेक्षण का संगठन एवं क्रियान्वयन
- पुनर्बलन का पर्यवेक्षण में उपयोग

## **Syllabus of Written Exam (Objective type)**

### **Paper-I**

# **General studies and Language Proficiency**

**No. of Questions: 120**

**Maximum Marks: 120**

**Time: 2 Hour**

## **Part-I Language Proficiency**

### **A-General English (20 questions/20 marks)**

Comprehension, word power, grammar and usage with emphasis on communicative and administrative usage, Use of correct Prepositions, One-word substitution, Synonyms, Antonyms, Tenses, Idioms and Phrases, Active/Passive voice, Direct & indirect speech.

### **B-General Hindi (20 questions/20 marks)**

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम—व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

## **Part-II General knowledge (40 questions/40 marks)**

General knowledge and current affairs- national and international including economic issues, polity issues, environment issues, science and technology and any other current issues. Candidates are expected to have a thorough general awareness of the above subjects with reference to Uttarakhand also.

## **Part-III Reasoning Ability (20 questions/20 marks)**

Similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series, arithmetical computations and other analytical functions etc.

## **Part-IV Computer Proficiency**

**(20 questions/20 marks)**

Number system, decimal, binary, octal, hexadecimal; computer definition and its components, types & generations of computers, CPU, ALU, memory, primary & secondary memory, RAM, ROM, input & output devices, hardware & software, operating systems, computer networks, IP address, internet, LAN, WAN, e-mail, worldwide web, web browser, website, MS word, MS excel, MS access, MS power point, computer virus, multimedia.

**Paper-II**

**EDUCATIONAL LEADERSHIP AND ADMINISTRATIVE  
EFFICIENCY**

**No. of Questions: 180**

**Maximum Marks: 360**

**Time: 3 Hour**

- 1. Educational perspective-** **(20 Questions/40 marks)**
- Educational Commissions after Independence- Secondary Education Commission(1952), Education Commission (1964-66)
  - National Policy of Education-2020 and School Education
  - Right to Free and Compulsory Education Act-2009
  - Provisions for School Education in Uttarakhand State
- 2. Educational Leadership -** **(20 Questions/40 marks)**
- Meaning, characteristics of a good leadership
  - Theories of leadership
  - Types of Leadership
  - Need for developing leadership qualities and training
  - Measurement of Educational Leadership
- 3. Administration of Educational Institution -** **(30 Questions/60 marks)**
- Institutional Planning- Meaning, Types
  - Curriculum- meaning, type, importance
  - Theories of Curriculum Construction
  - Importance of Time table for Educational Institution
  - Importance of School discipline and factors affecting School discipline
  - Evaluation of Learning outcomes, Types of evaluation -Formative and Summative Evaluation
- 4. Inclusion in Educational Institution-** **(20 Questions/40 marks)**
- Inclusive Education- Meaning, Objectives and Need
  - Inclusive School Environment- Physical Infrastructure, Teachers and Training

- Provisions for Inclusive Education in NEP- 2020
- Importance of Mental Health and Hygiene in School, Teaching and non-teaching staffs' Mental Health, diagnosis and remedial provisions, Guidance and counselling in School.

- Constitutional Provisions and Acts -1995 & 2016 for Disabled Person

**5. School Administration- (30 Questions/60 marks)**

- School Administration- meaning, nature, Functions and Theories of Administration
- Office Management and Administration- Objectives, functions and Need
- Organizational Climate- Meaning of Organization, School as an Organization, Dimensions of Organizational Climate
- Conflict Management in School: Nature of Conflict, types of Conflict, and role of Principal in Conflict Management.
- Qualities of the Principal - Physical, Intellectual, Emotional, Personal, Social and Moral qualities, Duties of the Principal as administrator- planning, organizing, controlling and evaluating.

**6. Resource Management in Educational Institutions -(20 Questions/40 marks)**

- Human Resource Management- meaning and theories
- Communication management in School- Internal and External Communication
- Communication Barriers in Effective Communication
- Management of Physical and Infrastructural Resources
- Role of Principal in Resource Management in school

**7. Finance Management in Educational Institution - (20 Questions/40 marks)**

- Meaning and Nature of Educational Finance, Factors influencing Educational Financing.
- Educational Budget-Need, Preparation and control of budget, Presentation and adaptation of budget.
- Resources of Educational Finance- Public funds, Private Funds and Local bodies Funds
- The Grant-In-Aid System - Allocation system of State Grants and local body Grants , Cost and Effect System
- Role of Principal in Finance Management

## **8. Supervision-**

**(20 Questions/40 marks)**

- Meaning and Nature of School Supervision
- Function of Supervision plan
- Need of Supervision for effective educational Leadership
- Organization and implementation of school supervision
- Use of Feedback in supervision

## परिशिष्ट-03

### (5) दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या - .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0 ..... आयु..... लिंग..... पहचान

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... विवेदित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्ठीय पक्षाधात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैकिस्स)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैकिस्स)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अन्य दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों .....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/ श्रीमती/ कृमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/ करती हैं:-

(i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(vi) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(vii) एस-डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(viii) एस-इ-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(डा0.....)

(डा0.....)

(डा0.....)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

## परिशिष्ट-04

### प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०इ०का० / रा०बा०इ०का० सीमित विभागीय परीक्षा-2024 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैः—

क्र० सं०	श्रेणी / उपश्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम हेतु न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)।
1.	अनारक्षित	<b>40%</b>	<b>45%</b>
2-	दिव्यांगजन	<b>25%</b>	<b>30%</b>

नोट :: सम्बन्धित श्रेणीयों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता-सूची (MERIT) हेतु विचारित किया जायेगा।

## परिशिष्ट-05

शासनादेश संख्या: 374(1) / XXX(2) / 2019-30(5) / 2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-5(1) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-5(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-5(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-5(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-5(1) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी

को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (tailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे। उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

**Certificate regarding physical limitation in an examinee to write**

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ..... (name of the candidate with disability), a person with ..... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ....., a resident of .....(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

**Signature**

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

**(Name & Designation)**

**Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:**

**Place:**

**Date:**

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)**

**Letter of Undertaking for using own Scribe**

I ..... a candidate with .....(name of the disability) appearing for the .....(name of the examination) bearing Roll No. ..... at .....(name of the centre) in the District ..... (name of the State). My qualification is .....

I do hereby state that ..... (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ..... In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

**(Signature of the candidate with disability)**

**Place:**

**Date:**

## परिशिष्ट—06

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा परिशिष्ट—6(1) पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला परिशिष्ट—6(1) पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण—पत्र निम्नवत् गठित बहु—सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है—

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/  
Psychiatrist/ Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को परिशिष्ट—6(1) प्रमाण—पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान—पत्र के साथ **परिशिष्ट-6(2)** प्रमाण—पत्र एवं **परिशिष्ट-6(1)** प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक—पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-6(1)** प्रमाण—पत्र के बिन्दु संख्या—2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू—तल पर निर्धारित परीक्षा—कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उक्त दिशा—निर्देश शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

**परिशिष्ट-06 (I)**

**Appendix-06 (I)**

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/o .....a resident of .....

(Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person .....(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto \_\_\_\_\_ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

**परिशिष्ट-06 (II)**  
**Appendix-06 (II)**

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I \_\_\_\_\_, a candidate with \_\_\_\_\_ (nature of disability/condition) appearing for the \_\_\_\_\_ (name of the examination) bearing Roll No. \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ (name of the center) in the District \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (name of the State). My educational qualification is \_\_\_\_\_.

2. I do hereby state that \_\_\_\_\_ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is \_\_\_\_\_. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

## परिशिष्ट-07

### संतोषजनक सेवा के प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 ----- पदनाम-----  
विद्यालय का नाम ----- को विगत ----- के  
मध्य कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं दी गई है तथा इनके विरुद्ध कोई विभागीय  
अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

श्री / श्रीमती / कु0 ----- की सेवाएं सन्तोषजनक हैं।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम  
मोहर

## परिशिष्ट-08

### अनिवार्य अर्हकारी सेवा के प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ----- पदनाम -----  
पर दिनांक ----- से मौलिक रूप से नियुक्त हैं तथा उक्त पद पर<sup>1</sup>  
इनकी सेवा अवधि ----वर्ष -----माह ---- दिन है।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

मोहर

दिनांक

## परिशिष्ट— 09

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न 16 नगरों में किया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	नगर	नगर कोड
1	अल्मोड़ा	01
2	चम्पावत	02
3	पिथौरागढ़	03
4	हल्द्वानी	04
5	रुद्रपुर	05
6	खटीमा	06
7	बागेश्वर	07
8	श्रीनगर	08
9	गोपेश्वर	09
10	नई टिहरी	10
11	रुद्रप्रयाग	11
12	उत्तरकाशी	12
13	देहरादून	13
14	ऋषिकेश	14
15	हरिद्वार	15
16	रुड़की	16

**नोट:-** अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

## परिशिष्ट-10

### प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०इ०का० / रा०बा०इ०का० सीमित विभागीय परीक्षा-2023

#### Check List

**पदनाम — प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०इ०का० / रा०बा०इ०का०**

**अनुक्रमांक—**

क्र०सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हाँ / नहीं)
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र ( <b>प्रपत्र संख्या-02</b> ) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र ( <b>प्रपत्र संख्या-03</b> ) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक ( <b>प्रपत्र संख्या-04</b> ) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र / अंकतालिका	
06	<b>A-</b> आयु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार 01 जुलाई 2024 तक — .....वर्ष.....माह.....दिन <b>B-</b> आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तिथि तथा प्रमाण पत्र के अनुसार तिथि में भिन्नता। हाँ / नहीं <b>C-</b> हाँ की दशा में अभ्यर्थी की जन्मतिथि 02.07.1974 से पश्चात है अथवा नहीं।	
07	स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की अंकतालिका	
08	स्नातकोत्तर उपाधि	
09	बी०एड० अथवा समकक्ष उपाधि	
10	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाणपत्र। ( <b>परिशिष्ट-07</b> पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
11	अनिवार्य अर्हकारी सेवा का प्रमाणपत्र ( <b>परिशिष्ट-08</b> पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
12	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त दिव्यांग आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र।	
13	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। ( <b>परिशिष्ट-11</b> पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
14	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	
15	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा—आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

\* यह स्पष्ट किया जाता है कि माझे आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

नोट-आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....

## परिशिष्ट-11

### नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में स्वघोषणा

मैं \_\_\_\_\_(नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हाईस्कूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र में मेरा/पिता/माता का नाम\_\_\_\_\_ अंकित है जबकि निम्नलिखित अभिलेखों में मेरे/पिता/माता के नाम में भिन्नता विद्यमान है।

1.

2.

3.

4.

5.

उक्तांकित दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_

अभ्यर्थी का नाम

\_\_\_\_\_

अनुक्रमांक

\_\_\_\_\_

परीक्षा का नाम